बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार जाति आधारित सर्वे **के मामले** में कहा कि **सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना** चाहिये ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके।

- बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा है कि जातिवार डेटा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

मुख्य बिंदु:

- न्यायाधीशों के पैनल ने उन याचिकाकर्त्ताओं को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने **जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय के फैसले** को चुनौती दी है, जो इस तरह के कार्य को करने के लिये बिहार सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं।
- **बिहार जाति सर्वेक्षण, 2023** से पता चलता है कि **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** और **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs)** मिलकर राज्य की **कुल आबादी का 63%** हिस्सा हैं।
- जारी आँकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या **13.07 करोड़ से कुछ अधिक है**, जिसमें से **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36%)** सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद **अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13%** है।
- चूँकि सर्वेक्षण के आँकड़े सामने आ गए है और अधिकारियों द्वारा इसे अंतरिम रूप से लागू करना शुरू कर दिया गया है और **SCs, STs, OBCs, EBCs एवं** आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये आरक्षण को मौजूदा **50% से बढ़ाकर कुल 75%** कर दिया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-caste-survey-to-be-put-in-public-domain-sc